परिवहन विभाग, उत्तरांचल

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्कर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

1– उत्तरांचल मोटर कराधान सुधार नियमावली–2003 के नियम–28 एवं 29 के अन्तर्गत वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से निम्नानुसार छूट प्राप्त है :–

कर के भुगतान से पूर्ण छूट – निम्नलिखित वर्गों के मोटरयानों को कर के भुगतान से पूर्णतया छूट प्राप्त है :–

(i) मोटरयान (भाड़े पर सामान तथा यात्रियों को ले जाने वाले से भिन्न), जो कि भारत सरकार या भारत के किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में हों और उनके द्वारा या उनकी ओर से अनन्य रूप से उपयोग में लाये जाते हों ;

(ii) मोटरयान (भाड़े पर समान तथा यात्रियों को ले जाने वाले से भिन्न), जो उत्तरांचल में स्थित किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व में हों और उनके द्वारा या उनकी ओर से (अनन्य रूप से) उपयोग में लाये जाते हों ;

(iii) मोटरयान जिनका उपयोग आग बुझाने के लिये आशयित हो और अनन्य रूप से इसी उपयोग में लाये जा रहे हों ;

(iv) एम्बुलेंस नामक मोटरयान जिनका उपयोग रोगी को अस्पताल लाने और ले जाने के लिये आशयित हो और अनन्य रूप से इसी उपयोग में लाये जा रहे हों ;

(v) पशुओं पर निर्दयता को रोकने के लिये और मात्र बीमार पशुओं के प्रवरण के लिये उपयोग में जाये जा रहे समिति के स्वामित्व वाले मोटरयान ;

(vi) ऑक्जीलरी फोर्स ऐक्ट, 1920, इंडियन टेरीटोरियल फोर्सेज ऐक्ट, 1920 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कराधान से दी गयी छूट वाले मोटरयान ;

(vii) वास्तविक व्यापारियों और निर्माताओं द्वारा बिक्री के लिये रखे गये मोटरयान जब उनका उपयोग केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अनुसार जारी किये गये एक विधिमान व्यवसाय प्रमाण पत्र के अधीन किया गया हो ;

(viii) ''ट्रिप–टायकयू'' या कारनेट–डि–पैसेज'' के अंतर्गत उत्तरांचल में आयातित या आने के पश्चात तीस दिन से अनधिक अवधि के लिये आ रहे मोटरयान ;

(ix) फार्म से बाजार या कारखाने तक जाने वाल सड़क पर मात्र कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टर ट्रेलर ;

(x) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के उपयोग के लिये निर्मित या विशेष रूप से अंगीकृत परिवहन यान से भिन्न यान, जहां ऐसे यान ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में

हों और उनके द्वारा निजी एवं वैयक्तिक प्रयोजन के लिये उपयोग में जाये जाते हों ; और

(xi) उत्तरांचल के बाहर अधिकारितायुक्त परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट प्राप्त माल वाहन के रूप में संचालित मोटरयान जिन पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (12) के अधीन संयुक्त (कम्पोजिट) कर देय है।

कर के भुगतान से आंशिक छूट – निम्नलिखित वर्गों के मोटरयान को कर/अतिरिक्त कर के भुगतान से उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सीमा तक कर/अतिरिक्त कर के भुगतान की छूट प्राप्त है :–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे परिवहन यानों को, जिनके साथ सड़क परिवहन के मामले में पारस्परिक व्यवस्थाएं की गयी हों, और जो अपने परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तरांचल में चलाने के लिये प्राधिकृत हो। अधिनियम के अधीन उस अवधि के लिये जिसके संबंध में कर भुगतान उस अन्य प्रदेश या देश में पहले ही कर दिया गया हो, कर के भुगतान से छूट होगी ;

(ii) मोटरयानों को जो एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं, जिसके उत्तरांचल राज्य से भिन्न भारत के राज्य में अपने प्रारम्भिक बिन्दु और अन्तिम बिन्दु दोनों हो, किन्तु जिस मार्ग का भाग उत्तरांचल में पड़ता हो और ऐसे भाग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न होती हो, उस अवधि के लिये जिसके लिये ऐसे अन्य राज्य में कर का भुगतान कर दिया गया हो, कर के भुगतान से छूट होगी ;

(iii) भारत के किसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहन को, जिनके सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (9) के अधीन परमिट प्रदान किये गये हों, अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट होगी, परन्तु यह कि इस प्रकार की पारस्परिक छूट उत्तरांचल में रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहनों को ऐसे अन्य राज्य में प्रदान की गयी हो और जिसके सम्बन्ध में उसी प्रकार के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तरांचल द्वारा प्रदान किये गये हों ;

(iv) भारत के किसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहन, जिसके सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (9) के अधीन परमिट प्रदान किये गये हों, अधिनियम के अधीन, अतिरिक्त कर के भुगतान से छूट होगी, परन्तु यह कि इसी प्रकार की छूट उत्तरांचल में रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहनों को ऐसे अन्य राज्य द्वारा प्रदान की गई हो और जिनके सम्बन्ध में उसी प्रकार के परमिट के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तरांचल द्वारा प्रदान किये गये हों ;

(v) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व वाली मंजिली गाड़ियां जो अनन्य रूप से विद्यार्थियों को संस्था तक लाने और ले जाने के लिये प्रयुक्त होती हैं तथा ऐसे वाहन शिक्षण संस्था द्वारा आर्थिक लाभ के स्त्रोत के रूप में प्रयोग नहीं

किए जाते हैं तो इस अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त कर के भुगतान से छूट होगी ; और

(vi) शोकाकुल व्यक्तियों सहित शवों को ले जाने तथा वापसी यात्रा के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त होने वाली मंजिली गाड़ियों को इस अधिनियम के अर्न्तगत अतिरिक्त कर के भुगतान से छूट होगी।

2— शासन द्वारा बैटरी चलित वाहनों के संचालन हेतु वाहन के पंजीयन से 05 वर्ष तक अतिरिक्त कर भुगतान से छूट प्रदान की गयी है।

3— मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन के अर्न्तगत निम्न प्रकार की छूट उपलबध है:—

(i) ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी नियोजन में हो और ड्राइवर पद के प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया हो को चालन अनुज्ञप्ति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या उसका नवीकरण या चालन हेतु सक्षमता परीक्षण फीस से छूट प्रदान की गयी है ।

(ii) रोड रोलर के ड्राइवरों को चालन अनुज्ञप्ति से छूट प्रदान की गयी है ।

4— मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण के अन्तर्गत निम्न प्रकार की छूट उपलब्ध है :—

(i) सभी रोड रोलर, ग्रेडर और अन्य यान जो सड़क बनाने या सफाई करने के लिए बनाये गये हैं को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त है।

(ii) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से (**Solely**) प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर और लोकोमोटिव को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है।

(iii) पूर्त संस्थाओं (**Charitable Institute**) के स्वामीत्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से (**Solely**) प्रयोग किये जाने वाले मोटर एम्बुलेन्स को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है।

(iv) ऐसे मोटरयान जो सरकार के स्वामित्वाधीन हो या तत्समय सरकार के सेवा में है को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है।

5— परमिट की आवश्यकता से निम्न प्रकार के परिवहन यानों को छूट उपलब्ध है:—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का परिवहन यान जो ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसका किसी वाणिज्यक उद्यम से कोई सम्बन्ध न हो को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(ii) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन हो और जिसका उपयोग केवल सड़क साफ करने, सड़क पर जल छिड़कने या सफायी के लिए किया जाता है को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(iii) पुलिस, दमकल या रोगी वाहन कार्य के लिए उपयोग में लाये जाने वाले परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(iv) शवों और शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के ले जाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(v) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी बिगड़े यान का अनुकर्षण करने के लिए या किसी बिगड़े हुए यान से माल को निरापद स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(vi) अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रीकृत कोई परिवहन यान जब वह यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से खाली हो, किसी स्थान को जा रहा हो, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(vii) कोई ऐसा परिवहन यान जिसे बाढ़, भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, सड़क पर बाधा या अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण किसी अन्य मार्ग पर, भले ही वह राज्य के अन्दर हो या बाहर, इस दृष्टि से भेजा जाना आवश्यक है कि वह गन्तव्य स्थान तक पहुंच जाये, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(viii) कोई परिवहन यान जो अवक्रय (Hire Purchase), पट्टा (Lease) या आडमान करार (Hypothecation Agreement) के अधीन है और जिसे स्वामी के व्यतिक्रम (Default) के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसके साथ स्वामी ने ऐसा करार किया है, कब्जे में ले लिया गया है, जिससे कि ऐसा मोटरयान अपने गन्तव्य तक पहुंच सके, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(ix) कोई ऐसा परिवहन यान जब वह खाली हो और मरम्मत के प्रयोजन के लिए जा रहा है, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

(x) किसी विनिर्माता द्वारा विज्ञापन, प्रदर्शन, रोड टेस्ट, इन्डूरेन्स टेस्ट, टेस्ट ग्राउण्ड, निर्यात के उद्देश्य से बनाये और प्रयोग में लाये जाने वाले यान को केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा–66 की उपधारा (3) की खण्ड (छः) के अधीन परमिट की आवश्यक से छूट प्रदान की गयी है।

(xi) किसी दुर्घटना, बाढ़, भूकम्प, प्राकृतिक आपदा या किसी आकस्मिक परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री या अन्य सहायता पूर्ति (Relief Supplies) को ले जाने वाले या ऐसे व्यक्तियों और उनके सामान को ले जाने वाले परिवहन यान को केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 की उपधारा (3) के खण्ड (ठ) के अधीन परमिट की आवश्यकता से छूट प्रदान की गयी है।

(xii) अस्पृश्यता हटाये जाने और अनुसूचित जाति कल्याण कार्य के निमित्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनन्य रूप से (Solely) प्रयुक्त परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

(xiii) खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा संगठित खादी और ग्राम उद्योगों से सम्बन्धित विकास कार्यक्रम के लिए अनन्य रूप से (Solely) प्रयुक्त परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

(xiv) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटिड द्वारा निर्मित अत्यन्त सेफिस्टिकेटैड कम्पोनेन्टस के प्रदर्शन के लिए इलैक्ट्रानिक्स प्रर्दशन गाड़ी को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

(xv) महिला एवं बाल कल्याण कार्य के निमित्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन के द्वारा अनन्य रूप से (Solely) प्रयुक्त परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

****